

दिनांक

आज्ञा पत्र

क्रमांक

8.8.21

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 9.11.21 को पेश हो

9.11.21

पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष हे इस हेतु अपीलान्त शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी ह्ये। ताकि अपील का शीघ्रतरी निस्तारण किया जा सकें पत्रावली बास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 13.1.22 को पेश हों।

13.1.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रैस्पोंडेंट पीठासीन अधिकारी महोदय आज 13.1.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 13.2.22 को पेश हो।

13.2.22

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नवा से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प बुन्दनू)

